मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी
M.P. STATE HAJ COMMITTEE
मध्य प्रदेश शासन

(भारत सरकार के हज अधिनियम 2002 के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)

Web Site : www.mphajcommittee.com, e-mail : mpshcbhopal@yahoo.in

Haj House, Gram Singarcholi, Behind Gulmohar Gardan, Airport Road, Bhopal-462036 (M.P.), PH:-0755-2530139, FAX :- 0755-2538039

REF:MPSHC/37/2024/ 1681 DATE : 24/02/2024

प्रति,

जनसम्पर्क आयुक्त,
मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषयः—हज—2024 के प्रोवीज़नल चयनित हज यात्रियों को दूसरी किश्त जमा करने एवं प्रतीक्षासूची क्रमांक 1 से 558 तक के प्रोवीज़नल चयनित हज आवेदकों को सूचना देने के संबंध में निम्न प्रेस विज्ञप्ति भेजी जा रही है जिसे राज्य के समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने तथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के समस्त केन्द्रों से प्रसारित कराने बाबत्।

हज—2024. प्रोवीज़नल चयनित हज यात्रियों द्वारा शेष हज राशि की दूसरी किश्त राशि रूपये 1,70,000/— जमा करने के संबंध में

मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के माननीय अध्यक्ष महोदय श्री रफत वारसी (कैबिनेट मंत्री दर्जा, म.प्र. शासन) ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इण्डिया से प्राप्त जानकारी अनुसार हज—2024 में जाने वाले ऐसे प्रोवीज़नल चयनित हज यात्रियों जिन्होंने पूर्व में प्रथम किश्त के रूप में प्रति हज यात्री राशि रूपये 81,800/— जमा कर दी है, अब उन्हें दूसरी किश्त के रूप में प्रति हज यात्री राशि 1,70,000/— के हिसाब से हज कमेटी ऑफ इण्डिया के भारतीय स्टेट बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया की किसी भी शाखा में निर्धारित पे—इन—स्लिप या चैक के माध्यम से या हज कमेटी ऑफ इण्डिया की वेबसाइट hajcommittee.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना है। जिसमें बैंक रिफरेन्स नम्बर आवश्यक रूप से दर्ज करें। दूसरी किश्त की राशि निर्धारित तिथि 24—02—2024 से 10—03—2024 की अवधि के दौरान जमा की जानी है। तीसरी किश्त की राशि जमा करने की सूचना प्रथक से दी जावेगी।

हज—2024. प्रतीक्षासूची क्रमांक 1 से 558 तक के हज यात्रियों के प्रोवीज़नल चयनित किये जाने के संबंध में

मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री रफत वारसी (कैबिनेट मंत्री दर्जा, म.प्र. शासन) ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इण्डिया से प्राप्त जानकारी अनुसार हज—2024 में जाने हेतु प्रतीक्षासूची क्रमांक 1 से 558 तक के हज यात्रियों को प्रोवीज़नल चयनित किया गया है। प्रोवीज़नल चयनित हज यात्री अपने हज आवेदन फॉर्म समस्त दस्तावेज़ सहित, मूल अंतराष्ट्रीय पासपोर्ट के साथ एक वाइट बेकग्राउण्ड का कलर फोटोग्राफ, हज मेडिकल स्क्रीनिंग एण्ड फिटनेस सर्टिफिकेट (शासकीय मेडिकल ऑफिसर द्वारा बनवाकर कार्यालय मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी, भोपाल में दिनांक 10—03—2024 तक जमा करें।

उपरोक्त प्रोवीज़नल चयनित समस्त हज यात्रियों को सूचित किया जाता है कि वह हज कमेटी ऑफ इण्डिया के भारतीय स्टेट बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया की किसी भी शाखा में निर्धारित पे—इन—स्लिप या चैक के माध्यम से या हज कमेटी ऑफ इण्डिया की वेबसाइट hajcommittee.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन राशि जमा करें। (प्रति हज यात्री को एडवांस राशि रूपये 81,800/— एवं दूसरी किश्त की राशि रूपये 1,70,000/—) इस प्रकार कुल राशि रू 2,51,800/— जमा करना अनिवार्य है। हज कमेटी द्वारा आपके मोबाइल नम्बर पर दिये गये बैंक रिफरेन्स नम्बर को पे—इन—स्लिप में आवश्यक रूप से दर्ज करें।

अधिक जानकारी के लिए हज कमेटी ऑफ इण्डिया की वेबसाइट पर परिपत्र क्रमांक 10 एवं 11 (हज—2024) का अवलोकन करें तथा दूरभाष क्रमांक 0755—2530139, 136, 137, 138, 140 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(मसूद अखतर सिददीकी)
सहायक कार्यपालन अधिकारी,
मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी